67

II/नि0/अपील/2018/01159

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा संभाग

रीवा (म0प्र0)

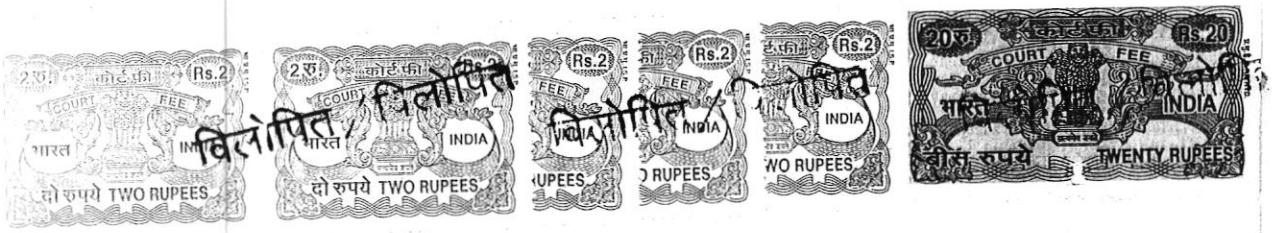

बैजनाथ साहू तनय छोटा तेली निवासी ग्राम पड़रा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0)

------आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1— रामऔतार बारी तनय हद्दू बारी

2— रामसजीवन बारी तनय गंधारी बारी

3— अशोक बारी तनय गंधारी बारी

4— संतोष बारी तनय गंधारी बारी

सभी निवासीगण दक्षिण टोला करौदिया, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म0प्र0) -------अनावेदक/गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्रकरण क0— 119/अपील/15-16

निर्णय दिनांक 23/01/18

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन् 1959 ई0

मान्यवर,

## निगरानी के आधार निम्नलिखित है :—

1— यह कि माननीय न्यायालय में निगरानी अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के लिंक कोर्ट सतना के प्रकरण क0— 119/अपील/15-16 पारित आदेश दिनांक 23/01/18 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की जा रही है जो अधीनस्थ न्यायालय के पारित आदेश यानी अनुविभागीय अधिकारी महोदय के पारित आदेश एवं अपर आयुक्त

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सीधी/भूरा/2018/01159

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही अथवा आदेश | पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 23–5–18 | आवेदक के अधिवक्ता श्री कुबेर प्रसाद अग्निहोत्री उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 119/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.1.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2–आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता के द्वारा विवादित आराजी 20/– में कय की गई थी अर्सा 60 वर्ष पूर्व से भूमियां अपीलांट के पिता एवं मृत्यु के ष्चात अपीलार्थी का कब्जादखल चला आ राह है, इस आधार पर कानूनी हक अर्जित हो जाते है। आवेदक द्वारा विधिवत सीमांकन भी कराया गया था जिसकी जानकारी अनावेदक को थी।<br>3–प्रकरण में मुख्य बिन्दु यह है कि आवेदक देरीना कब्जे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता में कब्जे के आधार पर नामांतरण करने का प्रावधान नहीं है। आवेदक को अपना स्वत्व निर्धारित करने हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर करना चाहिये। तहसीलदार गोपद बनास को 109/110 में नामांतरण करने का अधिकार नहीं था। अपर आयुक्त द्वारा विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है जिसमें | |

किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 23.1.18 उचित होने से स्थिर रखने योग्य है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 119/अपील/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 23.1.18 उचित होने से स्थिर रखा जाता है । परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी अग्राह की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों।

सदस्य